न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
CNR No.–UPKJ01–000552–2026
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–M/58/12/2026
विमला देवी उर्फ रामकान्ती बनाम रामप्रकाश आदि
थाना–छिबरामऊ, जिला कन्नौज।

दिनांक–17.03.2026

वाद पत्रावली आवेदिका **विमला देवी उर्फ रामकान्ती** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत **धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.** के निस्तारण हेतु नियत है। उक्त प्रार्थनापत्र पर आवेदिका एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि दिनाँक 01/02/2026 को मैं अपने घर से छिबरामऊ बाजार जा रही थी कि तहसील छिबरामऊ मोड, सौरिख रोड पर प्रार्थिनी को राम प्रकाश पुत्र कुँवरपाल, जमादार पाल पुत्र कुँवरपाल व विनय कुमार पुत्र कुँवरपाल निवासीगण ग्राम बीवीपुर पोस्ट कालाबोझ थाना कुदरकोट जनपद औरैया मिले। प्रार्थिनी ने राम प्रकाश से कहा कि तुमने हमसे 06.05.2023 को 3,25,000/–रुपये उधार लिये थे जो अभी तक नही दिये हैं और हमने न्यायालय में एफ०आई०आर० के लिये प्रार्थनापत्र तुम्हारे खिलाफ दिया था वह भी आपने षडयंत्र करके वापस करा दिया था। इतने में ही उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थनी को गन्दी गन्दी गालियां देते हुये मारने पीटने लगे। राम प्रकाश ने प्रार्थिनी को धक्का मार दिया जिससे प्रार्थनी गिर गयी जिससे प्रार्थनी के पैर में चोट आ गयी और विपक्षीगण ने प्रार्थिनी के पर्स में से 4,500/–रुपये लूट लिये। शोरगुल की आवाज सुनकर आस पास के लोग आ गये जिन्होने बचाया जाते समय कहने लगे हम लोग तेरे रुपये नही देगे तुझे जो कुछ करना हैं कर लेना अगर ज्यादा करेगी तुझे जान से मार देगे प्रार्थिनी ने तुरन्त 112 नम्बर पुलिस पर कॉल की लेकिन काल नही लगी। प्रार्थनी थाने गयी लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की और न ही प्रार्थिनी का मेडिकल कराया। प्रार्थिनी के चोट अधिक लग जाने के कारण प्रार्थिनी ने अपना ईलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छिबरामऊ जनपद कन्नौज में कराया। प्रार्थिनी थाना छिबरामऊ जनपद कन्नौज में प्रार्थनापत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की तब प्रार्थिनी ने पुलिस अधीक्षक कन्नौज जनपद कन्नौज को दिनांक 11.02.2026 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थनापत्र दिये उन पर भी आज तक कोई कार्यवाही नही हुयी।

आवेदिका द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रतिया, आधार कोर्ड की प्रति दाखिल की गयी है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र में किये गये अभिकथनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने से आख्या आहुत की गयी है। थाने की आख्या के अनुसार कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थनापत्र में किये गये अभिकथनों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका को विपक्षीगण द्वारा आवेदिका के साथ गंदी–गंदी गालियां देते हुये मारपीट की गयी जिससे आवेदिका के पैर में चोट आ गयी एवं आवेदिका के पर्स में से 4,500/– रूपये लूट कर भाग गये। आवेदिका द्वारा स्वयं की उम्र 70 वर्ष लगभग अंकित की गयी है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र में किये गये अभिकथनों से आवेदिका के विरूद्ध कारित अपराध गंभीर व संज्ञेय प्रकृति का होने के कारण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत **धारा–173(4)बी.एन.एस.एस. स्वीकार** किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाये। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह मामले को दर्ज कर उसकी विवेचना नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

अनुपालन आख्या अंदर सप्ताह प्रस्तुत की जाये।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या–1
जनपद–कन्नौज।

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.25 14:59:34 IST
Reason: judgment
Location: A.D.J, court N0. 1 Kannauj.